

J/389292/2023

संख्या-05 /2023/001-1333 9-2-2023 E-1743627

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 18 सितंबर, 2023

विषय:- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित नगर निगम अयोध्या, जनपद-अयोध्या को द्वितीय किशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/242/2/न0पा0परि0/यू0सी0/2023-24, दिनांक 29.08.2023 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या के पत्र सं0-801/न0नि0अयो0/2023, दिनांक 25.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सीमा विस्तारित नगर निगम, अयोध्या, जनपद-अयोध्या प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों के फोटोग्राफ्स, थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किशत अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित नगर निगम, अयोध्या, जनपद-अयोध्या को शासनादेश सं0-157/2022/4348/001-म्-1672196-84ज-22, दिनांक 12.12.2022 द्वारा तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु प्रथम किशत अवमुक्त की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217-80-191-03-00 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि ₹0 7825.675 लाख (₹0 अठहतर करोड़ पच्चीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ मात्र) में से सीमा विस्तारित नगर निगम, अयोध्या, जनपद-अयोध्या के 12 कार्यों की अवशेष द्वितीय किशत की धनराशि ₹0 2,89,21,745.00 (₹0 दो करोड़ नवासी लाख इक्कीस हजार सात सौ पैतालीस मात्र) की तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त की गयी प्रथम किशत की धनराशि	अवमुक्त की जा रही द्वितीय किशत की धनराशि
1	2	3	4	5
1	हैबतपुर में जावीर के मकान से निशु व धन्नू के मकान से सूबेदार के प्लाट तक व दिनेश चौरसिया के मकान से कृष्णा वर्मा के मकान तक	81,34,480.00	40,67,240.00	40,67,240.00

I/389292/2023

	सी० सी० द्वारा सड़क सुधार व आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य			
2	भीखापुर में बट्टी बिहार कालोनी में बट्टी तिवारी के मकान से सुनीता के मकान होते हुए अमरेन्द्र सिंह के मकान तक सी० सी० सड़क तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य	55,73,708.00	27,86,854.00	27,86,854.00
3	अश्वानिपुरम वार्ड के मोहल्ला कोशिनगर में अमरनाथ पंडे के मकान से देवेन्द्र पाण्डेय के मकान होते हुए काशी साद यादव के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य	33,56,946.00	16,78,473.00	16,78,473.00
4	जनौरा वार्ड के मोहल्ला पक्का तालाब के पास परिक्रमा मार्ग से इंदु सिंह के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य	26,92,031.00	13,46,016.00	13,46,015.00
5	जनौरा वार्ड के मोहल्ला पक्का तालाब के पास परिक्रमा मार्ग से अभिषेक द्विवेदी के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य	24,99,112.00	12,49,556.00	12,49,556.00
6	श्री राम कालोनी में मझवा गददोपुर में श्री मुन्ना सिंह के मकान से श्री अशोक तिवारी के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य	99,73,115.00	49,86,563.00	49,86,562.00
7	खोजनपुर में श्री लाल जी शर्मा के मकान से राम कलब मिश्रा व अवधेश राँय के मकान होते हुए हरिवंश बहादुर सिंह व पुष्पा उपाध्याय के मकान तक सी० सी० सड़क तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य	46,41,984.00	23,20,992.00	23,20,992.00
8	पहाडगंज निराला नगर में श्री आशुतोष पाण्डेय के मकान से श्री जे० पी० तिवारी के मकान तक सी० सी० सड़क तथा नाली निर्माण कार्य	43,84,663.00	21,92,332.00	21,92,331.00
9	खोजनपुर में ब्रिजराज मिश्रा के	34,13,545.00	17,06,773.00	17,06,772.00

I/389292/2023

	मकान से गिरीश चंद्र श्रीवास्तव , मंशाराम वर्मा व वीरेंद्र कुमार दूबे के मकान तक सी० सी० सड़क तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य ।			
10	कौशलपुरी में सुरेन्द्र बहादुर के मकान से विजय गुप्ता , माता प्रसाद तिवारी व करमजीत के मकान तक सी० सी० सड़क तथा आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य ।	25,20,475.00	12,60,238.00	12,60,237.00
11	प्रयागराज मुख्य मार्ग से कौटिल्य एकेडमी होते हुए दिनेश कुमार वर्मा के मकान तक सी० सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य ।	20,40,972.00	10,20,486.00	10,20,486.00
12	हैबतपुर पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के पास महेश गुप्ता के मकान से राजेश मौर्या व इफ्तिखार के मकान से मोदी के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य ।	86,12,454.00	43,06,227.00	43,06,227.00
	योग	5,78,43,495.00	2,89,21,750.00	2,89,21,745.00

(रु० दो करोड़ नवासी लाख इक्कीस हजार सात सौ पैंतालीस मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-

- स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30 प्र० लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-5/2023-बी-1-322/ दस-2023, ई-पत्रावली सं०-10-5002/ 125/2021, दिनांक 02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
- धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरण करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
- कार्यो हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।
- कार्यो की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

7. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
 8. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
 9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
 10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
 12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, 30प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
 13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल आसकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
 15. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित नगर आयुक्त तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
 16. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित नगर आयुक्त द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।
 17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,89,21,745 (रुपये दो करोड़ नवासी लाख इक्कीस हजार सात सौ पैंतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801910300 उच्चिकृत / सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।**

I/385292/2023

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by संजय कुमार
तिवारी

(संजय कुमार तिवारी), 18:06:20

Reason: Approved

अनु सचिव।

संख्या- 05 /2023/ 001-1333 9-2-2023 E-1743627, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) मण्डलायुक्त, अयोध्या।
- (7) जिलाधिकारी, अयोध्या।
- (8) नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या, जनपद-अयोध्या।
- (9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(संजय कुमार तिवारी),
अनु सचिव।